संख्या:82/2019/2165 ई-2/तेरह-2019-01/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-**2** लखनऊ::दिनांक 07 नवम्बर,2019

विषय:- वर्ष 2019-20 के लिये शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-61/दस-185(2)/शीरा नीति/2019-20, दिनांक 23 सितम्बर, 2019 तथा पत्र संख्या-जी-65/दस-185(2)/शीरा नीति/2019-20, दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें स्थापित हैं। इन चीनी मिलों में से 28 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की, 23 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की, 03 चीनी मिलें भारत सरकार की एवं 104 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। शीरा वर्ष 2018-19 में 39 चीनी मिलें बन्द तथा 119 चीनी मिलें कार्यरत रहीं हैं।

3. ज्ञातव्य है कि आबकारी राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत अंश देशी मदिरा से प्राप्त होता है। अतः यह आवश्यक है कि समस्त देशी मदिरा आपूर्तक आसवनियों को उनकी आवश्यकतानुसार समुचित मात्रा में शीरा उपलब्ध कराया जाय। इसी परिप्रेक्ष्य में शीरा सत्र 2018-19 में मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिए उत्पादन का 12.5 प्रतिशत शीरा आरक्षित किया गया था। माह अगस्त 2019 में देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिए आरक्षित शीरे की उपलब्धता में होने वाली सम्भावित कमी के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया था। शीरा सत्र 2019-20 हेतु 500 लाख कुन्टल शीरे का उत्पादन अनुमानित है। शीरा सत्र 2018-19 की समाप्ति पर लगभग 4 लाख कुं. आरक्षित शीरा (सी हैवी) सम्भरण हेतु अवशेष रहना सम्भावित है। शीरा वर्ष 2019-20 हेतु उक्त के समायोजन के पश्चात् आरक्षित शीरे की आवश्यकता 94.15 लाख कुं. आंकलित होती है। अत: शीरा वर्ष 2019-20 हेतु प्रदेश में खपत होने वाली देशी मदिरा के लिए आरक्षण 18 प्रतिशत रखा गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. पूर्व में प्रदेश में चीनी मिल समूह के साथ स्थापित आसवनियों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु समूह की सभी चीनी मिलों को शीरे की देयता का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में समूह की चीनी मिलों द्वारा एक से अधिक आसवनियों की स्थापना की जा चुकी है। इस कारण से प्रदेश की अन्य आवश्यकताओं को देखते हुये समूह की चीनी मिलों को शीरे के कैप्टिव उपभोग के आधार पर शीरे की देयता का लाभ दिये जाने से, जनस्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देशी मदिरा उपलब्ध कराने हेतु शीरे की उपलब्धता नहीं हो सकेगी। अतः शीरे के कुल उत्पादन के आधार पर देशी शराब के लिए आरक्षित शीरे की देयता सभी चीनी मिलों पर समान रूप से निर्धारित की गयी है।

5. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2019-20 के लिये शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 23.09.2019 एवं पत्र दिनांक 12.10.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2019-20 के लिए शीरा नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है-

5.1 <u>शीरा वर्ष 2019-20 में उपलब्ध शीरे की मात्रा पर आरक्षण एवं सम्भरणः</u>-

5.1.1 प्रत्येक चीनी मिल/समूह द्वारा शीरा वर्ष 2019-20 में कुल पेरे जाने वाले गन्ने के 4.65 प्रतिशत की शीरे की अनुमानित रिकवरी के आधार पर उत्पादित सी हैवी शीरे की मात्रा के 18 प्रतिशत अंश को आरक्षित शीरे के रूप में उत्पादित एवं सम्भरित कराना अनिवार्य होगा।

आवश्यकता पड़ने पर आरक्षण प्रतिशत घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

5.1.2 सभी चीनी मिलें नीति के अनुसार आरक्षित शीरे की देयता के अनुरूप आरक्षित शीरे का निरन्तर एवं अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित करेंगी।

5.1.3 (अ) देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियों को आरक्षित शीरे हेतु अपनी माँग गत माह की 7 वीं तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी व चीनी मिल द्वारा आसवनी की माँग पर 10 वीं तिथि तक निर्णय लेना होगा तथा उनके द्वारा आवंटित आरक्षित शीरे का नियमित रूप से क्रय के 15 दिन के अन्दर उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) चीनी मिलें आरक्षित शीरे के विक्रय हेतु टेण्डर किये जाने वाले शीरे की मात्रा माह के प्रथम सप्ताह में घोषित करेंगी।

5.1.4 जिन चीनी मिल/समूह की चीनी मिलों में शीरा वर्ष 2018-19 में प्रभावी शीरा नीति के अनुरूप आरक्षित शीरे का अवशेष स्टाक उपलब्ध है वे चीनी मिलें/समूह शीरा वर्ष 2019-20 में प्राथमिकता के आधार पर उक्तानुसार अवशेष आरक्षित शीरे का उठान कराना सुनिश्चित करेंगी।

5.1.5 (अ) समूह की चीनी मिलें उपरोक्तानुसार देय आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप आरक्षित शीरे की आपूर्ति शीरा नियंत्रक से अनुमति प्राप्त करके समूह की एक या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एकाधिक चीनी मिलों से कर सकेंगी परन्तु यदि इससे देशी शराब की आपूर्ति बाधित होगी, तो यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(ब) पूर्वांचल में स्थित पेय आसवनियों द्वारा 25 से 30 प्रतिशत देशी शराब की आपूर्ति की जाती है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पूर्वांचल की इन आसवनियों को समूह की चीनी मिलों द्वारा पूर्वांचल स्थित कम से कम एक चीनी मिल से आरक्षित शीरे की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

5.1.6 शीरा वर्ष 2018-19 के अवशेष आरक्षित शीरे के समतुल्य मात्रा को चीनी मिलों द्वारा देशी मदिरा की आसवनियों को ही विक्रय करते हुए अपनी इस अवशेष देयता को अनिवार्य रूप से माह जनवरी, 2020 तक शून्य करना होगा।

5.1.7 उपरोक्त आरक्षण की व्यवस्था इस शर्त के साथ निर्धारित की जाती है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथा स्थिति/यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथावश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

5.1.8 ऐसी चीनी मिलें, जिनकी अपनी सहआसवनी हैं एवं उनकी आसवनी द्वारा देशी शराब की आपूर्ति की जाती है, सर्वप्रथम शीरा सत्र 2018-19 की समाप्ति पर अवशेष आरक्षित शीरे एवं वर्ष में उत्पादित शीरे (सी हैवी) के 18 प्रतिशत तक शीरे का उपभोग देशी शराब की आपूर्ति हेतु करेंगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा उक्त मात्रा के उपभोग के उपरान्त भी देशी शराब की आपूर्ति की जाती है, तो अतिरिक्त आरक्षित शीरे के आवंटन हेतु आसवनी द्वारा आवेदन करने पर पेराई कार्य की समाप्ति के उपरान्त शीरा उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुए, की गयी देशी शराब की आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे के आवंटन पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा विचार किया जायेगा।

5.1.9 देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियाँ, तत्समय आसवनी में उपलब्ध आरक्षित शीरे के समायोजन के पश्चात ही आरक्षित शीरा आवंटन हेतु माँग प प्रस्तुत करेंगी।

5.2 <u>मदिरा के एम.जी.क्यू. की प्रतिमाह आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, आरक्षित शीरे की उपलब्धता बनाये रखने हेतु आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपातः-</u>

5.2.1 वर्ष 2018-19 का अवशेष आरक्षित शीरा अग्रेनीत किया जायेगा। पेराई सत्र के दौरान इसका अतिशीघ्र निस्तारण न होने पर इसकी गुणवत्ता में ह्रास आना स्वाभाविक है। अतः प्रदेश स्थित चीनी मिलों में वर्ष 2018-19 की उपलब्ध आरक्षित शीरे की अग्रेनीत मात्रा को अनारक्षित/स्वयं के उपभोग हेतु परिवर्तन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि चीनी मिलें उक्त परिवर्तित मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2019-20 के उत्पादन से करेंगी तथा यह मात्रा शीरा नीति 2019-20 हेतु देय आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त होगी। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रतिबन्ध रखा जाय कि चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 29.02.2020 को इस तिथि के सापेक्ष शीरा वर्ष 2019-20 हेतु आगणित आरक्षित शीरे की मात्रा के साथ-साथ गत वर्ष के अग्रेनीत आरक्षित शीरे की देयता में से शीरा वर्ष 2019-20 में सम्भरित आरक्षित शीरे की मात्रा घटाते हुए अवशेष देयता के बराबर शीरे का स्टाक चीनी मिलों के पास उपलब्ध रहे।

5.2.2 शीरा वर्ष 2019-20 में उपलब्ध सी हैवी शीरे की मात्रा के 18 प्रतिशत अंश को आरक्षित किया जाता है। तदनुरूप चीनी मिलों द्वारा आरक्षित व अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी के अनुपात 1:4.56 का पालन करना अनिवार्य होगा।

5.2.3 प्रत्येक मासान्त पर चीनी मिल समूह को अपने कुल वार्षिक देय आरक्षित शीरे का कम से कम 6 प्रतिशत शीरे का सम्भरण सुनिश्चित कराना होगा किन्तु पेराई सत्र चालू रहने के दौरान (माह नवम्बर, 2019 से अप्रैल, 2020 तक) शीरे की ओवरफ्लो की स्थिति से बचने हेतु चीनी मिलों को सुविधा प्रदान करने के लिए शीरा वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर, 2019 से अप्रैल, 2020 तक इस शर्त में शिथिलता देने का अधिकार शीरा नियंत्रक को होगा कि माह जून, 2020 तथा माह अगस्त, 2020 तक कुल देयता का क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 82 प्रतिशत सम्भरण सुनिश्चित करना होगा।

5.2.4 प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक ऑनलाइन शीरा पोर्टल पर टेण्डर अपलोड करेगी। इसकी सूचना पोर्टल द्वारा स्वचालित ई-मेल के माध्यम से समस्त देशी मदिरा आसवनियों, शीरा अनुभाग, मुख्यालय तथा सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

5.2.5 यदि मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्योगिक आसवनी से ई.एन.ए. मदिरा निर्माण के लिए प्राप्त करेंगी तो ऐसी ई.एन.ए॰ ¼Extra Neutral Alcohol½ प्राप्तकर्ता इकाई को आपूर्ति की गयी ई.एन.ए. की मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा को स्वतः प्राप्तकर्ता इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में घट जाने तथा आपूर्तक इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में जुड़ जाने का सहमति पत्र ई.एन.ए. क्रय करते समय देंगे। ई.एन.ए. की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति होने के तत्काल बाद समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा आपूर्तक इकाई के आरक्षित शीरे में जुड़ जायेगा तथा प्राप्तकर्ता ईकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में से घट जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.3 <u>अन्य राज्यों/अन्य राष्ट्रों को शीरे का निर्यात/आयातः</u>-

अन्य राज्यों/अन्य राष्ट्रों को शीरे के निर्यात/आयात के सम्बन्ध में निर्णय हेतु शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता हैः-

शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त	अध्यक्ष
अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
गन्ना विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई.आई.बी.)	सदस्य
उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	सचिव-संयोजक

प्रदेश में शीरे की आवश्यकता के लिये पर्याप्त शीरा उपलब्ध होने पर ही शीरे के निर्यात की अनुमति दी जायेगी। निर्यात हेतु पूर्व की भांति उत्तराखण्ड राज्य को वरीयता दी जायेगी। शीरा वर्ष 2017-18 से शीरा वर्ष 2019-20 तक उत्तराखण्ड राज्य को शीरा निर्यात किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य से एम.ओ.यू. निष्पादित है।

शीरा नीति वर्ष 2019-20 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात करने हेतु शीरा आयातक/ निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने के साथ आयात/निर्यात की अनुमति आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.4 <u>शीरे पर प्रशासनिक शुल्कः</u>-

शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा वर्ष 2019-20 में प्रदेश के अन्दर खपत के लिए रू. 11/- प्रति कुन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू. 15/- प्रति कुन्टल रखने एवं इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू. 11/- प्रति कुन्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू. 15/- प्रति कुन्टल निर्धारित किया जाता है।

5.5 <u>शीरा निधि की धनराशि का अन्तर इकाई हस्तान्तरणः</u>-

शीरा वर्ष 2019-20 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की जाएगी। यदि कोई चीनी मिल अपनी समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तर इकाई हस्तानान्तरण) तो इसके लिए अनिवार्य रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.6 <u>खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर नियंत्रणः</u>-

खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की संभावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष 2019-20 में खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा।

5.7 <u>शीरे के उठान पर नियंत्रण</u>:-

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे का उठान/सम्भरण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा आसवनियों में शीरे की प्राप्ति तथा अल्कोहल का उत्पादन व निकासी/स्टाक की समस्त सूचनाओं की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से पूर्व की भाँति लागू रहेगी। इस हेतु विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर किये जाने वाले आवेदनों में इकाई को जी.एस.टी.एन. का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

5.8 <u>रूग्ण चीनी मिलों/इकाईयों को छूट/रियायतः</u>-

रूग्ण चीनी मिल को यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहैबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर शीरे का आरक्षण लागू नहीं होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। यह व्यवस्था शीरा वर्ष 2019-20 में इस शर्त के साथ की जा रही है कि सम्बन्धित चीनी मिल रिहैबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करेगी एवं उससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी का प्रासंगिक आदेश उपलब्ध करायेगी। शासन द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार शीरा आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति/छूट/रियायत शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान की जायेगी।

5.9 <u>शीरे पर आधारित लघु इकाईयाँ जैसे यीस्ट, पशु आहार इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरा आवंटन</u>:-

शीरा सत्र 2019-20 में प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था के अनुसार, शीरा नियंत्रक के स्तर से किया जाएगा।

5.10 <u>शीरा नीति में व्यावहारिक परिवर्तन/परिमार्जन</u>:-

शीरा नीति में व्यावहारिक परिवर्तन/परिमार्जन के मामलों में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव पर मा. आबकारी मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त शासन द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.11 <u>बी-हैवी शीराः</u>-

शीरा वर्ष 2018-19 में धामपुर चीनी मिल एवं बृजनाथपुर चीनी मिल द्वारा 15.39 लाख कुं. बी हैवी शीरे का उत्पादन किया गया है। बी हैवी शीरे को 31 ए.एल. प्रति कुं. रिकवरी के आधार पर देशी मदिरा के लिये आगणित किया जायेगा। यदि कोई चीनी मिल बी हैवी शीरा तथा सी हैवी शीरा का उत्पादन करती हैं तथा सी हैवी शीरे से निर्धारित आरक्षण प्रतिशत पूर्ण नहीं हो रहा हो तो देशी शराब के निर्माण के लिये आरक्षित शीरे की देयता समूह की अन्य चीनी मिलों से पूरा करेंगी। यदि देयता तब भी पूरी नही होती है तो उसे बी हैवी शीरे से पूरा किया जायेगा।

5.12 <u>बिलोग्रेड शीरे का निस्तारण</u>:-

प्रदेश में स्थित चीनी मिलों/आसवनी में संचित बिलोग्रेड शीरा के निस्तारण हेतु लघु औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य इच्छुक रजिस्टर्ड क्रेता इकाइयों द्वारा बिलोग्रेड शीरा सम्भरण करने के लिए क्रेता इकाइयों से बिलोग्रेड शीरा के उपयोग के संदर्भ में जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त के माध्यम से जी.एस.टी.एन. के विवरण सहित शपथ पत्र प्राप्त कर बिलोग्रेड शीरा की मात्रा को चीनी मिलों के अनुरोध पर चीनी मिलों में तैनात आबकारी विभाग के अधिकारियों की देख रेख में विक्रय/ उठान किये जाने हेतु क्रेता इकाई के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किया जायेगा कि क्रेता इकाई द्वारा शीरा के निस्तारण तथा अन्तिम उपभोग का विवरण जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसका पूर्ण विवरण एवं लेखा क्रेता इकाई एवं जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा रखा जायेगा। बिलोग्रेड शीरा के निस्तारण के उपरान्त चीनी मिलों द्वारा कच्चे पिट को आयताकार पिट में परिवर्तित किया जायेगा जिसका निरीक्षण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ चीनी मिल के महाप्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

बिलोग्रेड शीरा क्रय करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयाँ/क्रेता इकाईयाँ/टेडर्स विभाग में पंजीकरण कराने के पश्चात ही बिलोग्रेड शीरा क्रय कर सकेंगी। प्रदेश के बाहर की क्रेता इकाईयाँ/उपभोक्ता इकाईयाँ सम्बंधित राज्य के आबकारी आयुक्त की अनापत्ति से बिलोग्रेड शीरा क्रय हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगी।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय क्रेता/उपभोक्ता इकाई/टेडर्स अपनी बिलोग्रेड शीरा संचय क्षमता सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराकर अवगत करायेंगे। टेडर्स द्वारा 500 कुं. तक बिलोग्रेड शीरा क्रय किया जा सकेगा तथा 500 कुं. से अधिक बिलोग्रेड शीरा उपभोक्ता इकाइयाँ (End Users) स्वयं क्रय करेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.13 <u>जले शीरे का निस्तारण</u>:-

प्रदेश की चीनी मिलों/आसवनियों में जले हुए शीरे के निस्तारण की व्यवस्था बिलोग्रेड शीरे की भाँति लागू होगी।

5.14 <u>शीरा नीति की वैधता अवधि</u>:-

शीरा नीति 2019-20 तब तक यथावत प्रभावी रहेगी जब तक कि नई शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

5.15 <u>चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करने हेतु उपबन्धः</u>-

चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगाः-

(1) चीनी मिलें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा संचित किया गया शीरा किसी भी तरह से लीक अथवा डिस्चार्ज होकर भूजल/सतह जल में न मिले। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करेगी कि वायु प्रदूषण होने की सम्भावना न हो।

(2) चीनी मिलों द्वारा कच्चे पिटों में शीरा संचय हेतु शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(3) कच्चे पिटों में संचित शीरे को मानसून सीजन से पहले अनिवार्य रूप से सम्भरित कर लिया जायेगा।

(4) चीनी मिलों से प्रवाहित होने वाले द्रव्य पदार्थ की गुणवत्ता का समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

(5) सभी चीनी मिलों द्वारा **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** में निहित प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों/उपबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।